फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मीरा बनाम विपक्षी श्रीमती कंकु व अन्य

किस्म मुकदमा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 68 / 22

कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा श्रीमती गायत्री सोनी पत्नी देवेन्द्र कुमार सोनी की तरफ से वकालत पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे बताया कि उपरोक्त प्रकरण के पक्षकार वादी श्रीमती मीरा पत्नी शंकरलाल जी डांगी को अपनी आवज जरूरीयात मे रूपयो कि आवश्यकता होने के कारण वादीया श्रीमती मीरा ने अपने हिस्से कब्जे काश्त अधिकार कि वाद पत्र कि कलम संख्या 1 मे वर्णित अपने हिस्से कब्जे काश्त अधिकार कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित अपने हिस्से कि भूमि प्रार्थीया श्रीमती गायत्री सोनी पत्नी देवेन्द्र कुमार जी सोनी निवासी रावलीपोल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. एवं श्रीमती तुलसी सोनी पत्नी पवन सोनी और श्रीमती नीलम सोनी पत्नी सुनीलकुमार सोनी को विक्रय कर दी है और प्रार्थीया श्रीमती गायत्री सोनी ने श्रीमती तुलसी सोनी एवं श्रीमती नीलम सोनी से भी कलम न. 1 में वर्णित भूमि मे उनका क्रयशुदा हिस्सा क्रय कर लिया है इस प्रकार प्रार्थीया श्रीमती गायत्री सोनी ने वाद पत्र कि कलम न. 1 मे वर्णित वादिया श्रीमती मीरा के हिस्से कि समस्त भूमि क्रय कर ली है। यह कि उक्त प्रकरण मे विवादित भूमि मे से वादिया श्रीमती मीरा का अब कोई हक अधिकार निहित नहीं रहा है वादिया श्रीमती मीरा के हिस्से कि समस्त भूमि पर अब प्रार्थीया श्रीमती गायत्री का हक हिस्सा अधिकार निहित हो गया है जिस कारण से उक्त प्रकरण मे अपने हक अधिकार हिस्से कि रक्षा के लिए अपने अधिकारो कि सुरक्षा के लिए प्रार्थीया श्रीमती गायत्री वादिया श्रीमती मीरा के स्थान पर उक्त प्रकरण में वादीया / प्रार्थीया पक्षकार के रूप मे प्रार्थीया श्रीमती गायत्री सोनी को वादीया पक्षकार के रूप में संजोजित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीया श्रीमती मीरा पत्नी शंकरलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि मे अपना समस्त हिस्सा विक्रय किया जा चुका है। प्रार्थीया (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी.) द्वारा वादिया से व अन्य से वादिया का समस्त हिस्सा क्रय किया जा चुका है जिससे वादीया श्रीमती मीरा पत्नी शंकरलाल डांगी का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है जिससे प्रार्थीया द्वारा वादीया श्रीमती मीरा पत्नी शंकरलाल के स्थान पर स्वयं को वादीया के रूप में संयोजित किये जाने का निवेदन किया। **"इस संबंध मे जब हम प्रोपर्टी ट्रांसफर अधिनियम 1882 की धारा 52 को देखते है तो पाते है कि उक्त धारा के अनुसार जब कोई मुकदमा सम्पति से संबंधित चल रहा होता है तो उस मुकदमें में शामिल पक्ष बिना अदालत की अनुमति के उस विवादित समपति का कोई भी हस्तान्तरण नहीं कर सकता "** उक्त प्रकरण मे वादीया द्वारा अपना समस्त हिस्सा विक्रय किया जा चुका है जिससे स्पष्टतः प्रोपर्टी ट्रांसफर अधिनियम 52 का उल्लंघन किया है। वादिया द्वारा अपना समस्त हिस्सा विक्रय किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहती। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 [illegible] धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर वादीया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सु[illegible] होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:31 IST
Reason: SelfAttested